न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 46/2024 G.C.M.S. No. 2024/277 दर्ज दिनांक : 06.09.2024

अपीलार्थिगण:

1. उदाराम पुत्र रयाराम, जाति भील, निवासी मालवाड़ा तहसील चितलवाना, जिला सांचौर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हापाराम पुत्र नारणाराम जाति भील निवासी आकोली
2. शान्तादेवी पत्नी सोना, जाति भील, निवासी मालवाड़ा
3. जगदीश पुत्र सोनाराम, जाति भील, निवासी मालवाड़ा
4. श्रवण पुत्र सोना, जाति भील, निवासी मालवाड़ा तहसील चितलवाना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2023 बअनवान हापाराम बनाम उदाराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2024

पैरोकार–

1. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री अशोक सारण, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2025 बअनवान हापाराम बनाम उदाराम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व की शामलाती आराजी सरहद मौजा मालवाडा के वर्तमान खसरा संख्या 1128/360 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा संख्या 1129/360 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा संख्या 359 रकबा 0.03 हैक्टर की आई हुई है तथा सरहद मौज़ा मालवाड़ा के उपरोक्त खसरा नम्बरान में हम वादीगण का 5.15, 1/12, 1/12, 1/12 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा आया हुआ है। आज से करीबन 15 वर्ष पूर्व हम खातेदारान ने आपसी सहमति से मौके पर अलग अलग मौके पर बंटवाड़ा कर लिया था तथा बंटवाडा माफिक मौके पर अलग अलग काश्त करते आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा के साथ में संलग्न नक्शा परिशिष्ट में जो रंग दर्शित कर अलग–अलग पक्षकारों के खातेदारी आराज़ी कब्ज़ा काश्त अनुसार बताई है वो अधीनस्थ न्यायालय में नक्शा अनुसार पूर्णतया गलत है क्योंकि खसरा नम्बर 1129/360 में अपीलांट का हक, हिस्सा है जहां पर अपीलांट मौके पर कब्जा काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार अपनी रहवासीय ढाणी व कृषि कुआ है। इसी आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त कर रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर अपीलांट की कब्जासुदा खातेदारी आराजी में से मार्ग के पास स्थित एक विशेष भू भाग को रेस्पोडेन्ट के हक हिस्सा में दिया है उसी विशेष भू–भाग पर अपीलांट की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानो की पूर्णत पालना करते हुए समस्त पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद निर्णय पारित करना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों के पालना नहीं कर उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत अलग अलग नक्शो में भिन्नता होने एवं अलग अलग नम्बर नक्शों में भिन्नता होने एवं अलग अलग खसरा नम्बर गलत तरीके से अंकित कर अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा गलत तरीके से नक्शा पेश कर निर्णय पारित कराया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को दावे में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मौका रिपोर्ट मंगानी चाहिए ताकि विधिवत् मौके एवं कब्जे काश्त की पूर्ण ज़ानकारी हो सके कि कौनसी पार्टी या पक्षकार कहां पर कब्जा काश्त है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में मौका ज़ांच रिपोर्ट नहीं मंगाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स से मिलावट कर विधि के मूलभूत सिद्धान्तों से परे जाकर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है। जो खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा दावा में प्राथमिक डिक्री दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वप्रथम मौका रिपोर्ट तैयार की ज़ाती है उसके बाद साक्ष्य सबूत व बहस सुनकर प्राथमिक डिक्री जारी कर निर्णय पारित करना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद ही दिनांक 10.07.2024 को विधि विरूद्ध तरीके से निर्णित कर दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई ज़ाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर पुनः नये सिरे से सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु रिमाण्ड फरमाई जावे।

अपील अपीलांट दर्ज़ रज़िस्टर की ज़ाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 04 द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.08.2019 को दर्ज रजिस्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

किया गया तथा दिनांक 10.07.2024 को अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.12.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 14.03.2024 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 10.07.2024 को वादग्रस्त आराजी के संबध में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे काश्त के आधार पर बंटवाडा किये जाने हेतु अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी।

3. खातेदारी आराजी के विभाजन में वस्तुतः सहखातेदारान के हिस्सों का निर्धारण व आराजी का मौके व रेकर्ड में हिस्सानुरूप विभाजन अपेक्षित होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन बाबत डिक्री पारित की गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार सहमति के अभाव में न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन डिक्री के माध्यम से किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्तावित किया गया है। जिसकी पालना में विभाजन प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार द्वारा राज़स्थान काश्तकारी (राज़स्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अनुपालना करते हुए अपेक्षित होता है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदारान के हिस्सा के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद होना अंकित नहीं किया है व न ही इस बाबत कोई अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट द्वारा प्रकरण में नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना नहीं किए जाने के संबंध में उज्र लिया गया है, के संबंध में हमारे विनम्र मत में हस्तगत अपील प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध है। जबकि नियम 18 से 21 की पालना विभाजन प्रस्ताव व उसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री से संबंधित होती हैं। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की हैं। अतः अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2025 बअनवान हापाराम बनाम उदाराम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2024 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इज़लास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली